[24/7/2019]

प्रश्न सं. [क्र. 3795]

आता.प्र.क्र. 3795 - परिशिष्ट 'अ'

लाते हुए राज्य शासन ने जिन पंचायतों में पटेलों के पद रिक्त हैं वहां ग्राम पंचायतों को पटेलों के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए अधिकार प्रदान किए हैं। जहां पटेल नियुक्त नहीं है वहां ग्राम पंचायत अपनी अधिकारिता क्षेत्र के अंदर पटेल के धारा 224 म.प्र.भू-रा. संहिता 1959 में वर्णित कर्त्तव्यों का पालन कर सकेगी।

म.प्र. राजपत्र 28 अक्टूबर 1994 अधिसूचना क्रमांक एफ-17-7-94-सात-समन्वय दि. 21 अक्टूबर 1994 द्वारा ग्राम पंचायतों को धारा 24(1) टिप्पणी आ(17) तथा आ(12) म.प्र.भू-रा. संहिता 1959 के अधीन तहसीलदार के अधिकार अविवाहित मामले के लिए धारा 110 म.प्र.भू-रा. संहिता 1959 (नामान्तर) ग्राम पंचायतों को दे दिए गए हैं। इसी प्रकार सीमा चिन्हों की मरम्मत करने के धारा 128(2) म.प्र.भू-रा. संहिता 1959 एवं धारा 130 म.प्र.भू-रा. संहिता 1959 एवं धारा 178 के अधीन अविवादित बंटवारे के मामले निपटाने के अधिकार ग्राम पंचायतों को दिए गए हैं तथा जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत क्षेत्र के कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने के अधिकार भी दिए गए हैं।

(इस संबंध में **म.प्र. रेव्हेन्यू इन्सपेक्टर्स एसोसिएशन वि. मध्यप्रदेश शासन 1995(1) (म.प्र. ज्यूडिशियल रिपोर्टर्स शार्ट नोट (1)** डी.बी. हायकोर्ट बैंच (मा. मुख्य न्यायाधीश महो.यू.एल. भट्ट एवं मा. न्यायाधीश महो. राजीव गुप्ता का निर्णय अवलोकनीय है)

म.प्र.राज अधिनियम क्र. 1-1994 की धारा 49 के खण्ड 29 के उपखण्ड (ख) के साथ पठित म.प्र.भू-रा. संहिता 1959 की धारा 24(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन ने उक्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन गठित ग्राम पंचायतों को शक्ति प्रदान की है।

(अधिसूचना क्र. एफ-2-20-सात-शा-8-94 दिनांक 8 फरवरी 1995)

(1) म.प्र.भू-रा. संहिता 1959 की धारा 143 के अधीन एस.डी.ओ. की शक्तियां

(2) उक्त संहिता की धारा 149 व 147 को तहसीलदार की शक्तियां भू-राजस्व की वसूली के लिए अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर प्रदान की है।

12. पटवारियों का निवास-स्थान -- जब तक पटवारी अपने हल्के से बाहर रहने के संबंध में कलेक्टर से अथवा अपने हल्के के किसी अन्य गांव में रहने के लिए उप-संभागीय अधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त न कर ले, तब तक प्रत्येक पटवारी को अपने हल्के के भीतर नियत किए गए किसी गांव में सपरिवार स्थाई रूप से निवास करना होगा।

टिप्पणी - यदि पटवारी के बालक शिक्षा प्राप्त कर रहे हों तथा यदि उसके अपने हलके में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध न हों, तो वह अपने परिवार को ऐसे स्थान पर रख सकेगा जहां उसके बालक शिक्षा प्राप्त कर रहे हों।

13. कोई भी पटवारी किसी राजस्व अधिकारी की, जो नायब तहसीलदार के पद से निम्नपद का न हो, या आपाती मामलों में राजस्व निरीक्षक को अनुमति के बिना अपना हलका नहीं छोड़ेगा।

14. पटवारी, शासकीय कर्मचारियों के आचरण का विनियमन करने के लिए, राज्य शासन द्वारा बनाए गए सामान्य नियमों के अधीन रहेंगे।

टिप्पणी - शासकीय आचार संहिता पटवारियों के लिए भी लागू होगी जो कर्मचारियों के लिए बनाई गई है।

15. (1) पटवारियों को अर्जित अवकाश, इस विषय के संबंध में उन पर लागू होने वाले नियमों के अधीन निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा नीचे बताई गई सीमा तक मंजूर किया जा सकेगा :-

उप-संभागीय अधिकारी	पूर्ण शक्ति

(टिप्पणी - एस.डी.ओ. को पटवारी को अर्जित अवकाश मंजूर करने की पूरी शक्ति प्राप्त है)